तारीख हुक्म

रामप्रताप बनाम रणजीत

जीसीएमएस नं.2021 / 129

27.07.21

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टस के मध्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति की समझाईस एव लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार अपीलार्थीगण उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहते है इसलिये अपीलार्थीगण उक्त अपील को विड्रो करना चाहते है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट्स स्वयं ही अपनी अपील को अब आगे चलाना नही चाहते है ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।